

March 2024



HEP, BHOPAL

DAILY PRESS CLIPPINGS



Publicity & Public Relations



Date Saturday, March 23, 2024

S no.	Pub.	Details	P no.
1	RAJ EXPRESS	CORPORATE RELATED NEWS	5
2	SWADESH	EMPLOYEE RELATED NEWS	5


TODAY'S CLIPPINGS



आरईसीपीडीसीएल और बीएचईएल ने किया समझौता



गुरुग्राम। महारत्न सीपीएसई आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी आरईसीपीडीसीएल ने नई दिल्ली में महारत्न सीपीएसई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का लक्ष्य देश भर में उपयोगिता पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संयुक्त विकास है, जिससे एक समर्पित विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी के माध्यम से देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दिया जा सके। एसपीवी को बीएचईएल की मुख्य इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और आरईसी लिमिटेड की बुनियादी ढांचा निवेश विशेषज्ञता से लाभ होगा। यह एसपीवी 1 गीगावॉट की प्रारंभिक क्षमता के साथ विशेषतः वाणिज्यिक और औद्योगिक सीएंडआई खंड की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। विवेक कुमार देवांगन सीएमडी आरईसी लिमिटेड, कोणू सदाशिव मूर्ति सीएमडी बीएचईएल, वीके सिंह निदेशक परियोजनाएं आरईसी लिमिटेड, राजेश कुमार सीईओ आरईसीपीडीसीएल और बानी वर्मा निदेशक आईएसएंडपी बीएचईएल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आरईसी के सीएमडी ने एमओयू के लिए दोनों कंपनियों को बधाई दी। साथ ही सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आगे कहा, हमें उपयोगिता पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित एक संयुक्त उद्यम के गठन के लिए बीएचईएल के साथ समझौता करने पर खुशी हो रही है। यह सहयोग विनिर्माण और इंजीनियरिंग में बीएचईएल की सिद्ध विशेषज्ञता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हमारे व्यापक अनुभव को एक साथ लाएगा। यह एसपीवी भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्वच्छ एवं हरित भविष्य में योगदान देगा। बीएचईएल सीएमडी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों संगठनों की संयुक्त ताकत का लाभ उठाने के लिए आरई सेगमेंट में पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।



SWADESH

Pub. Date

23/03/2024

Page no.

5

Journalist

BHOPAL

भेल आर्टिजन की मौत के मामले में परिजनों को 82.23 लाख मुआवजा देने के आदेश

भोपाल। राजधानी भोपाल में सड़क दुर्घटना के दौरान भेल कारखाने में आर्टिजन की मौत के मामले में भोपाल की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस केस में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश माधव प्रसाद नामदेव की अदालत ने मृतक के परिजनों को 82 लाख 23 हजार 9008 रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश एक्सीडेंट करने वाले ट्रक के मालिक, चालक और बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिए हैं।

